कार्यालय अपर जिलाधिकारी

हर घर जल
जल जीवन मिशन

शासन की शीर्ष प्राथमिकता

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।

Email-admngsonbhadra@gmail.com

पत्रांक– 141 /अ0जि0–नमामिगंगे/2022–23 **दिनांक– 03.08.2022**

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय– जनपद–सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत ग्राम–कनछ में प्रस्तावित डब्ल्यू0टी0पी0, पाइप लाइन एवं जैकवेल के निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष क्षतिपूरक वनिकरण हेतु ग्रामसभा की भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत ग्राम–कनछ में प्रस्तावित डब्ल्यू0टी0पी0, पाइप लाइन एवं जैकवेल के निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष क्षतिपूरक वनिकरण हेतु उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक– 03 जून, 2016 के प्रस्तर–4(ण) के अनुसार ग्रामसभा के प्रस्ताव पर प्रस्तर 4(2) में वर्णित अधिकार से जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने आदेश दिनांक– 02.06.2022 द्वारा गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूरक वनिकरण हेतु ग्राम सगरा परगना कंतित, तहसील–लालगंज, जनपद– मीरजापुर के ग्रामसभा में निहित भूमि गाटा संख्या– 28/1मी0 क्षेत्रफल 6.4325 हे0 का पुर्नग्रहण कर वन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है एवं आदेश का अनुपालन ग्राम– सगरा की खतौनी खाता संख्या– 460 पर कराते हुए पुर्नग्रहीत भूमि गाटा संख्या– 28/1मी0 क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन विभाग के नाम दर्ज की जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों से मुख्य वन संरक्षक महोदय/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को अवगत कराते हुए प्रक्रियाधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

3/8/22

(आशुतोष कुमार दूबे)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

आदेश

उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020 -20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी, मीरजापुर संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक गाँव पंचायतों/स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ ।

अनुसूची

क0 सं0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरणः- प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहण की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मीरजापुर	लालगंज	कंतित	सगरा	28/1मि0	6.4325	श्रेणी-5(3) (ड) बंजर	जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखा जाता है।

पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में ही किया जाएगा। यदि किसी कारणवश उक्त भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत गाँव सभा में निहित हो जाएगी।

02/06

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर ।

संख्या- 1258 /जि0भू0व्यव0लि0/पुनर्ग्रहण/2022 दिनांकः जून02 ,2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
2. अपर मुख्य सचिव, वन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी सोनभद्र ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।
5. उप जिलाधिकारी लालगंज मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पुनर्ग्रहीत भूमि नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में करवाते हुए तरमीम भू-मानचित्र वन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सगरा तहसील लालगंज मीरजापुर ।

02/06
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

प्रति हस्ताक्षरित

(अँकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

संलग्नक-2

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21208920220719

ग्राम क्रमांक : 212089 ग्राम का नाम / परगना : सगरा(कंतित) तहसील : लालगंज जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ङ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।							
00460	बंजर / /		28/1मि 30/1मि 31/1मि 33/3मि 33/5मि 80/1मि 447 957 1007मि 1099 1370/4मि् 1460/3मि् 1473/2 1491/1मि् 1590/3 23/1534 28/1535 1512/2	13.1650 29.5560 10.5090 16.5550 4.5260 0.9480 0.0630 0.0630 0.5640 0.7710 0.0280 0.5060 0.0130 0.0760 0.1900 0.0380 0.0730 0.1010		वाद सं0 विविध सन् 2022 जिलाधिकारी मीरजापुर दि0 22/04/2022 उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शा0सं0 32/744एफ-1-2016-20(5)/ 2016 दि0 03/06/2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एफ-1-2020-20(5)/2016 दि0 60/07/2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मै प्रवीण कुमार लक्षकार जिलाधिकारी मीरजापुर संलग्न सूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित भूमि को जो अब तक गाँव पंचायतो / स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। ग्राम सगरा तहसील लालगंज मीरजापुर की श्रेणी 5(3)(ङ) बंजर की आ0नं0 28/1मि0 रकबा 2.2223हे0 भूमि को जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखा जाता है। ह0र0का0 22/04/2022 वाद सं0 विविध सन् 2022 जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर 02.06.2022 उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 32/744 /एक -1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55	

प्रभारी कम्प्यूटर / र0 का0-तह0 लालगंज

						द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या- 687/एक -1-2020-20(5) /2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी, मिर्ज़ापुर संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक गाँव पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। ग्राम सगरा की श्रेणी 5-(3)(ङ) बंजर के आ0न0 28/1 मि0 रकबा 6.4325हे0 भूमि को जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत वन भूमि के गैर वनिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखा जाता है।ह0र0का0 18.07.2022	
			18	**77.7450**	**₹ 0.00**	**2**	**0**

कुल गाटे- एक आठ   कुल क्षेत्रफल- सात सात दशमलव सात चार पाँच शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: Brahmdev Dubey

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: PREETI SHARMA
तहसील: लालगंज **जनपद:** मिर्ज़ापुर
दिनांक एवं समय: 19-07-2022 03:58:02
यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भारी कम्प्यूटर र0 का0